

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 12.10.2025 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:

- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अ0सं0 346/25 धारा 352/110/3/(5)351(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्तगण 1. धर्म सिंह उर्फ छोटा पुत्र प्रताप सिंह, 2. प्रताप सिंह पुत्र छेदा लाल, 3. सोबरन सिंह पुत्र छेदालाल निवासीगण ग्राम दौलतपुर थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना गजनेर पुलिस द्वारा अ0सं0 187/2023 धारा 363/366/376(3) भादवि0 व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र भूरा निवासी रसूलपुर गोगूमऊ थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना सट्टी पुलिस द्वारा अ0सं0 37/25 धारा 87/137(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त रवि कुमार उर्फ समोल पुत्र श्रीराम निवासी ग्राम भदवा सांवरन थाना बसरेहर जनपद इटावा को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त राम मिलन पुत्र बलदेव निवासी कस्बा व थाना भोगनीपुर जिला कानपुर देहात उम्र करीब 26 वर्ष को महिलाओं व लड़कियों को देखकर गाने गाना व अश्लील हरकते करने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 347/2025 धारा 296 (बी) बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त यशवन्त कुमार उर्फ कमलेश पुत्र स्व0 कुंवर लाल निवासी ग्राम पिपरी थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 50 वर्ष को महिलाओं व लड़कियों को देखकर गाने गाना व अश्लील हरकते करने सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 348/2025 धारा 296 (बी) बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना देवराहट पुलिस द्वारा अभियुक्त सूरज सिंह पुत्र राजेश्वर निवासी कलुआताला थाना देवराहट जनपद कानपुर देहात को ग्राम कलुआताला के मोड के पास रास्ते में आने जाने वाली लड़कियों को देखकर अश्लील हरकते व गाना गाने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 36/2025 धारा 296 (बी) बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा अभियुक्त नूरअख्तर पुत्र नूर मोहम्मद उम्र 23 वर्ष निवासी अशोक नगर कस्बा व थाना सिकन्दरा कानपुर देहात को रास्ते में आने जाने वाली महिलाओं को देखकर अभद्र टिप्पणियां व अश्लील गाना गाने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 0167/25 धारा 296 (बी) बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1.सालिल कुमार पुत्र अनूप कुमार निवासी सुरान थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया उम्र करीब 21 वर्ष, 2. रजनीश यादव पुत्र बालकिशन यादव निवासी मानिकपुर बिसु थाना इकदिल जनपद इटावा उम्र करीब 21 वर्ष, 3. पंकज यादव पुत्र रामबीर सिंह यादव निवासी नगला अजीत थाना इकदिल जनपद इटावा उम्र करीब 28 वर्ष, के पास से 8 किलो 990 ग्राम नाजायज गांजा बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 0168/25 धारा 08/20 NDPS ACT पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

- थाना राजपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त राममोहन पुत्र रामसेवक उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम खोजारामपुर थाना राजपुर कानपुर देहात को सार्वजनिक स्थान पर अश्लील गाना गाना, इशारे करना के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 88/25 धारा 296 (बी) बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना अमराहट पुलिस द्वारा अभियुक्त अभियुक्त चन्दन पुत्र रामजीवन निवासी पक्की महटौली थाना अमराहट जनपद कानपुर देहात उम्र 22 वर्ष को लाइसेस की शर्तों का उल्लंघन कर अवैध रूप से आतिशबाजी 103 किग्रा0 को घर मे रखना के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 38/25 धारा 5/9B विस्फोटक अधि0 1884 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना अमराहट पुलिस द्वारा अभियुक्त विनोद सिंह पुत्र गेंदालाल निवासी ग्राम अमराहट डेरा थाना अमराहट जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 27 वर्ष को सार्वजनिक स्थान पर आने जाने बाले लड.कियों/महिलाओं को देखकर अश्लील गाना गाने व हरकते करने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं 39/25 धारा 296 (बी) बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त शैलेन्द्र यादव पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम जरिया थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात को सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य/ फुहड गाना गाने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं 358/25 धारा 296 (बी) बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 11 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना मूसानगर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 03 व्यक्ति, थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों, थाना शिवली पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया ।